

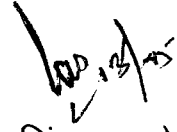
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3667/

जबलपुर, दिनांक 14 / 05 / 2025

श्रीमती ज्योति गांगुली, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर में संलग्न को दिनांक 27.02.2025 से 13.03.2025 तक 15 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया।



(अजय सिंह ठाकुर)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/3668/

जबलपुर, दिनांक 14 / 05 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर,
5. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
7. श्री ज्योति गांगुली, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर संलग्न उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अजय सिंह ठाकुर)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर.)